APIS

2

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2008/माघ 4, 1929

No. 43] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2008/MAGHA 4, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 56(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशियों विषयक आदेश, 1948 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2008 कहा जाएगा ।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होगा ।

2. विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के पैरा 6क में निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6क. जलयान के मास्टर या देश के प्रतिनिधि या एयरलाइन के स्टेशन मैनेजर द्वारा सूचना प्रदान करने का दायित्व - भारत में पहुंचने वाले या उतरने वाले जलयान का मास्टर या देश का प्रतिनिधि या एयरलाइन का स्टेशन मैनेजर, जैसा भी मामला हो, भारत से बाहर पोतारोहण पत्तन से जलयान या वायुयान को छोड़े जाने या उड़ान भरने के पंद्रह मिनट के भीतर, सवार यात्रियों और क्रू-सदस्यों के बारे में, इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भारत में गन्तव्य पत्तन या उस पत्तन, जिस पर उसे उतरना है, के आप्रवास प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना देगा, अर्थात् :—

I. फ्लाइट के सम्बन्ध में जानकारी :

(क) एयरलाईन का कैरियर कोड और फ्लाइट संख्या;

(ख) प्रस्थान का विमानपत्तन;

(ग) प्रस्थान की निर्धारित तारीख एवं समय;

(घ) आगमन का विमानपत्तन;

(ङ) आगमन की निर्धारित तारीख एवं समय;

II. यात्रियों के सम्बन्ध में जानकारी :

(क) अन्तिम नाम;

(ख) प्रथम नाम;

(ग) मध्य नाम;

(घ) लिंग;

(ङ) जन्म तिथि;

(च) राष्ट्रीयता;

III. यात्रा के सम्बन्ध में जानकारी :

(क) यात्रा आरम्भ करने का विमानपत्तन;

(ख) गन्तव्य विमानपत्तन;

(ग) यात्री के नाम का रिकार्ड सूचक;

IV. यात्रा के दस्तावेजों के सम्बन्ध में जानकारी :

(क) दस्तावेज की श्रेणी;

(ख) दस्तावेज संख्या;

(ग) समाप्ति की तारीख; और

(घ) जारी करने वाला देश ।

उपर्युक्त सूचना के अतिरिक्त, क्रू के लिए, 'कॉकपिट या संचालक क्रू संकेत' संबंधी जानकारी भी दी जाएगी ।"

[फा. सं. 25022/48/2004-आप्रवासन]

अशीम खुराना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश सं. 9/9/46, तारीख 10 फरवरी, 1948 के तहत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित पत्रांकों के जरिए संशोधन किया गया—

(i) सं. 6/29/48-एफ. I दिनांक 4-8-1948

(ii) का.नि.आ. 513 दिनांक 9-4-1951

(iii) का.नि.आ. 1039 दिनांक 28-5-1953

(iv) का.नि.आ. 2675 दिनांक 14-8-1954

(v) का.नि.आ. 1466 दिनांक 21-6-1956

(vi) सं. 4/2/56-एफ. I दिनांक 21-6-1958

(vii) सा.का.नि. 836 दिनांक 18-9-1958

(viii) सा.का.नि. 74 दिनांक 12-1-1959

(ix) सं. 6/167/59-एफ. I दिनांक 4-12-1959

(x) का.आ. 1793 दिनांक 18-7-1960

(xi) का.आ. 2865 दिनांक 3-10-1963

(xii) का.आ. 340 दिनांक 24-1-1964

(xiii) सा.का.नि. 1108 दिनांक 30-7-1964

(xiv) सा.का.नि. 283 दिनांक 16-2-1965

(xv) सा.का.नि. 868 दिनांक 16-6-1965

(xvi) सा.का.नि. 1476 दिनांक 29-9-1965

(xvii) सा.का.नि. 547 दिनांक 30-3-1971

(xviii) सा.का.नि. 754 दिनांक 14-5-1971

(xix) सा.का.नि. 1499 दिनांक 30-8-1971

(xx) सा.का.नि. 109 दिनांक 9-1-1979

(xxi) सा.का.नि. 312(अ) दिनांक 24-4-2002

(xxii) सा.का.नि. 159(अ) दिनांक 7-3-2005

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2008

G.S.R. 56(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Foreigners Order, 1948, namely :—

1. (1) This Order may be called the Foreigners (Amendment) Order, 2008.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 2008.

2. In the Foreigners Order, 1948, for para 6A, the following para shall be substituted, namely :—

"6A. Liability of master of vessel or country representative or station manager of airline to provide information.—The master of a vessel or country representative or station manager of an airline, as the case may be, arriving or landing in India, shall provide the following information about the passengers on board and crew, in electronic form, within fifteen minutes of leaving or taking off of the vessel or aircraft from the port of embarkation outside India, to the immigration authority on the ports of arrival or landing in India, namely :—

I. flight information :
   (a) airline carrier code and flight number;
   (b) departure airport;
   (c) scheduled departure date and time;
   (d) arrival airport;
   (e) scheduled arrival date and time;

II. passenger information :
   (a) last name;
   (b) first name;
   (c) middle name;
   (d) gender;
   (e) date of birth;
   (f) nationality;

III. journey information :
   (a) journey start airport;
   (b) destination airport;
   (c) passenger name record locator;

IV. travel document information :
   (a) document type;
   (b) document number;
   (c) expiry date; and
   (d) country of issue.

For crew, in addition to the above information, the information about 'cockpit or operating crew indication' shall also be furnished."

[F. No. 25022/48/2004-Imm.]

ASHIM KHURANA, Jt. Secy.

Note.— The principal Order was published *vide* No. 9/9/46, dated the 10th February, 1948, and subsequently amended *vide* number :

(i) No. 6/29/48-F.I dated 4-8-1948

(ii) S.R.O. 513 dated 9-4-1951

(iii) S.R.O. 1039 dated 28-5-1953

(iv) S.R.O. 2675 dated 14-8-1954

(v) S.R.O. 1466 dated 21-6-1956

(vi) No. 4/2/56-F.I dated 21-6-1958

(vii) G.S.R. 836 dated 18-9-1958

(viii) G.S.R. 74 dated 12-1-1959

(ix) No. 6/167/59-F.I dated 4-12-1959

(x) S.O. 1793 dated 18-7-1960

(xi) S.O. 2865 dated 3-10-1963

(xii) S.O. 340 dated 24-1-1964

(xiii) G.S.R. 1108 dated 30-7-1964

(xiv) G.S.R. 283 dated 16-2-1965

(xv) G.S.R. 868 dated 16-6-1965

(xvi) G.S.R. 1476 dated 29-9-1965

(xvii) G.S.R. 547 dated 30-3-1971

(xviii) G.S.R. 754 dated 14-5-1971

(xix) G.S.R. 1499 dated 30-8-1971

(xx) G.S.R. 109 dated 9-1-1979

(xxi) G.S.R. 312(E) dated 24-4-2002

(xxii) G.S.R. 159(E) dated 7-3-2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.